न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 158 / 2019 **दायर दिनांकः 25 / 10 / 2019**

उनवान

1. मनोज कुमार मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी सुभाषपुरा हाल निवासी सिविल लाईन मेन रोड़ तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनाकः 26 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी का सही नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में मनोज कुमार मीना पुत्र बाबुलाल मीना निवासी सुभाषपुरा हाल निवासी सिविल लाईन मेन रोड़ तहसील अटरू जिला बारां राज0 दर्ज है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र मे मनोज पुत्र बाबूलाल दर्ज है। वादी का घर का बचपन का बोलता हुआ नाम लोकेश कुमार है। और वादी के घर के बोलते हुये नाम से ही आराजी खाते मे दर्ज है। जमाबन्दी माल एवं ग्राम भोरा तह0 अटरू की खाता संख्या 47 का ख0 न0 509 का रकबा 2.85 है0 मे तथा ग्राम एवं माल सुभाषपुरा तह0 अटरू की आराजी जमाबन्दी खाता संख्या नई 290 का रकबा ख0न0 587/1990 का रकबा 1.74 है0 मे भी वादी का नाम लोकेश कुमार दर्ज है जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार मीना है। इस तरह से राजस्व रिकार्ड मे घर का बोलता हुआ नाम दर्ज होने की वजह से आराजी बाबत राजकार्य मे उपयोग मे भारी परेशानी होती है। बैकिग का कार्य सही सुचारू रूप से नही होता है। क्योकि वर्तमान मे सम्पूर्ण रिकार्ड ऑनलाईन होने की वजह से सभी दस्तावेज मे एक ही नाम दर्ज होता है। तभी कार्य का निष्पादन होता है। वादी द्वारा दिनांक 23.09.2019 को अटरू तहसीलदार साहब के यहां राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिन्होने माननीय न्यायालय में नाम राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध करने की बात बताई उसके बाद मे वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.10.2019

को राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को नाम शुद्ध कराने बाबत रजिस्ट्रर्ड नोटिस प्रेषित करवाया है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध बिना न्यायालय के होना सम्भव नहीं है। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें। कि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरस्त करते हुये लोकेश कुमार के स्थान पर मनोज कुमार मीना पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी सुभाषपुरा हाल निवासी सिविल लाईन मेन रोड अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 23.09.2019 को प्रतिवादी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर जानकारी होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 03.10.2019 को माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा प्रतिवादी को रजिस्ट्रर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है। लेकिन वर्तमान मे वादी का बैंक के माध्यम से जो काम होता था वह काम रूका हुआ है। और नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया तो वादी को नाम दुरस्ती नही होने की वजह से अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किये बिना धारा 80(2) सी0 पी0 सी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर करके वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल भौरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान मे स्थित होने की वजह से तथा वादी ग्राम सुभाषपुरा अटरू का स्थायी निवासी होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्व टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वादी माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरस्त करते हुये लोकेश कुमार के स्थान मनोज कुमार मीना पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी सुभाषपुरा हाल निवासी सिविल लाईन मेन रोड अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा को जवाबदावा हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के

कारण जवाब दावा बंद किया गया साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। ओर साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये गये।

अभिभाषक वादी को सुना अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम सुभाषपुरा की खाता संख्या 290 का ख0नं0 587/1990 रकबा 1.74 है0 वादी लोकेश कुमार के खाते में दर्ज है। ग्राम भोंरा की खाता संख्या 47 किता 1 रकबा 2.84 है0 शामलाती में सहखातेदार लोकेश पुत्र बाबूलाल दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार मीणा है, राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करते हुये लोकेश कुमार के स्थान पर लोकेश कुमार उर्फ मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल दर्ज किया जावें, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में पेश दस्तावेज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आधार कार्ड व साक्ष्य pw_1 व pw_2 के आधार पर सही नाम मनोज कुमार है। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>—::क्रियात्मक आदेश::—</u>

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम सुभाषपुरा की खाता संख्या 290 किता 1 रकबा 1.74 है0 व ग्राम भौंरा की खाता संख्या 47 किता 1 रकबा 2.84 है0 में सहखातेदार लोकेश पुत्र बाबूलाल के स्थान पर मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है, रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर निर्णयनुसार पालना करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 158/2019

उनवान

1. मनोज कुमार मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी सुभाषपुरा हाल निवासी सिविल लाईन मेन रोड़ तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सुभाषपुरा की खाता संख्या 290 किता 1 रकबा 1.74 है0 व ग्राम भौंरा की खाता संख्या 47 किता 1 रकबा 2.84 है0 में सहखातेदार लोकेश पुत्र बाबूलाल के स्थान पर मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है, रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर निर्णयनुसार पालना करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 13:50:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: